



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2009/फाल्गुन 7, 1930

No. 358]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2009/PHALGUNA 7, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2009

का.आ. 558(अ).—यतः, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 21 जनवरी, 2009 की सं. का.आ. 225(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन :

दिनांक 12 अगस्त, 2008 की सं. का.आ. 2034(अ) के तहत शामिल सारणी 5.4 के नीचे दिए गए नोट # को संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाए :-

“# 225 एफएआर और 40 प्रतिशत भू-कवरेज का मानदण्ड लुटियंस बंगला जोन क्षेत्र, सिविल लाइन्स बंगला क्षेत्र और विरासत संरचनाओं में अवस्थित विद्यमान होटलों को छोड़कर (क) व्यावसायिक केन्द्रों (iv), (v), और (ख) मैट्रोपोलिटन नगर केन्द्र/केन्द्रीय व्यापार जिले में स्थित होटल प्लॉट सहित सभी होटलों के संबंध में लागू होगा। यह पैरा 5.8 में उल्लिखित सभी श्रेणियों के होटलों पर लागू होगा। तालिका 5.4(क) और (ख) में भी उल्लिखित व्यावसायिक केन्द्रों के लिए एफएआर उस सीमा तक, केवल इस उद्देश्य हेतु, यदि उपलब्ध नहीं है, स्वतः ही बढ़ा हुआ समझा जाएगा।”

[सं. के-20013/10/2007-डी डी। बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2009

S.O. 558(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 225(E) dated 21st January, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India :

**Modification:**

The Note # below Table 5.4 incorporated *vide* S.O. 2034(E) dated the 12th August, 2008 shall be modified to read as under:

“# The norms of 225 FAR and 40% ground coverage shall be applicable in respect of all hotels

including hotel plots in (a) Commercial Centres (iv), (v), and (b) Metropolitan City Centre/Centra Business District except those located in LBZ area, Civil Lines Bungalow Area and hotels existing on heritage structures. This shall apply to all categories of hotels mentioned at para 5.8. The FAR for Commercial Centres mentioned at Table 5.4(a) and (b) also shall stand enhanced automatically to that extent, for this purpose only if not available.”

[No. K-20013/10/2007-DDIB]

P.K. SANTRA, Under Secy.